राजस्थान सरकार
आबकारी विभाग

वर्ष 2015–16 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में देशी मदिरा विक्रय के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्ते

1. पात्रता

देशी मदिरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र हेतु वे ही व्यक्ति आवेदन कर सकेगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत इस प्रकार का अनुज्ञापत्र धारण करने की योग्यता रखते है । मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन पत्र देने के लिये अयोग्य रहेगें :–

(क) कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा जामिन के रूप में आबकारी विभाग का बाकीदार हो,

(ख) वर्ष 2014–15 के ऐसे अनुज्ञाधारी, जिनमें माह दिसम्बर, 2014 तक की एकाकी विशेषाधिकार राशि / लाईसेंस फीस की कोई राशि बकाया हो,

(ग) **कोई भी व्यक्ति जो अठारह वर्ष से कम आयु का हो,**

(घ) कोई भी व्यक्ति जिसके विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनिमय, 1950 अथवा इसकी धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज एक्ट, 1985 के अंतर्गत गंभीर अपराध का कोई मामला दर्ज हो, अथवा उसमें सजायाब हुआ हो,

(ड) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 74 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र धारण हेतु अयोग्य व्यक्ति ।

2. अवधि

अनुज्ञापत्र की अवधि एक वर्ष (दिनांक 1.4.2015 सें 31.3.2016) होगी।

3. आवेदन पत्र

3.1 आवेदन पत्र स्टेशनरी चार्ज रू 100/– (जो कि आवेदन शुल्क के अतिरिक्त है) जमा कराकर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। कोई व्यक्ति चाहे तो विभाग की वेबसाईट **https://rajexcise.gov.in** से आवेदन पत्र की प्रति लीगल साईज के 70 जी.एस.एम. (GSM) के सादे सफेद कागज पर डाउनलोड कर उसमें आवेदन कर सकेगा। **आवेदन पत्र निर्धारित साईज एवं जी.एस.एम. पर डाउनलोड़ नही करने पर निरस्त किया जा सकता है।** आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड़ कर आवेदन करने पर स्टेशनरी चार्ज देय नहीं होगा।

3.2 किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक दुकान /दुकान समूह आवंटित नही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक दुकान/दुकान समूहों हेतु आवेदन करता हैं तथा एक से अधिक दुकान/दुकान समूह हेतु उसका चयन हो जाता हैं तो उसे वह दुकान/दुकान समूह आवंटित किया जायेगा जिसके लिये सबसे कम आवेदन प्राप्त हुये हो। दुकान/दुकान समूह हेतु समान संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे आवेदक को वह दुकान/ दुकान समूह आवंटित की जायेगी जिसकी वार्षिक राशि अधिक हो । एक से अधिक दुकान/दुकान समूहों के आवंटन की सूचना विभाग को देने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। एक से अधिक दुकान/दुकान समूहों के आवंटन की सूचना विभाग को नहीं देने पर इसे आवेदन आमन्त्रण शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा जिसके लिये एक से अधिक दुकान हेतु आवेदक का चयन/स्वीकृति निरस्त कर उसके द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि/धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।

3.3 आवेदक को आवेदन शुल्क (जो बिन्दु संख्या 3.1 पर उल्लेखित स्टेशनरी चार्जेज के अलावा होगा) निम्नानुसार जमा कराना होगा जो कि non refundable होगा :–

श्रेणी	आवेदन शुल्क
10 लाख तक की आरक्षित राशि वाले समूह	15,000/–
10 लाख से अधिक आरक्षित राशि वाले समूह	20,000/–

3.4 आवेदक भागीदार फर्म होने की दशा में अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व पार्टनरशिप डीड की प्रति विभाग को प्रस्तुत करनी होगी । आवेदन पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है ।

3.5 आवेदक को आवेदन पत्र के भाग – I व II की सही पूर्ति कर आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

3.6 आवेदनकर्ता किसी दुकान/दुकानों के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ अपने नाम व पते के सत्यापन हेतु निवास प्रमाण पत्र / टेलिफोन बिल/ बिजली बिल/ क्रेडिट कार्ड/ आयकर विभाग का पेन कार्ड / निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स इत्यादि में से किसी एक की फोटो प्रति संलग्न करेगा।

3.7 सफल आवेदक को वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित वार्षिक राशि की 12.50% राशि अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि के पेटे दिनांक 31.03.2015 के पूर्व नकद राजकोष में जमा करानी होगी।

3.8 बिन्दु संख्या 3.7 के अनुसार एकाकी विशेषाधिकार राशि की 12.5% अग्रिम जमा राशि का वित्तीय वर्ष 2015–16 के माह अक्टूबर से फरवरी तक 2% प्रतिमाह एवं माह मार्च में 2.5 प्रतिशत राशि निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम के आबकारी शुल्क में समायोजन योग्य होगी।

3.9 आवेदन पत्र के भाग – I पर आवेदक अपने हस्ताक्षर किसी राजकीय विभाग के अधिकारी / निरीक्षक अथवा ग्राम सेवक /पटवारी अथवा नगर पालिका / परिषद / निगम / पंचायत समिति / जिला परिषद के सदस्य से प्रमाणित करवायेगा ।

3.10 आवेदक को आवेदन पत्र के भाग I व III पर अपने स्व – हस्ताक्षरित फोटो लगाने होगें ।

3.11 जो आवेदन अपूर्ण होगें अथवा जिसके लिये निर्धारित शुल्क अदा नहीं किया गया हो, ऐसे आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

3.12 सफल आवेदक यदि आयकर विभाग का पेन नम्बरधारी नही हैं तो उसे 15.04.2015 तक पेन नम्बर प्राप्त कर विभाग को सूचित करना होगा ।

4. वार्षिक राशि

देशी मदिरा दुकान/दुकाने ग्राम पंचायतवार अथवा नगर निगम/परिषद/ पालिका के वार्ड वार अथवा उनके समूह में जिस रूप में अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं उनकी उस आबकारी जिले की सूची इन दिशा निर्देशो के साथ उपलब्ध करवाई जायेगी जिस जिले से यह विवरण प्राप्त किया जा रहा हैं। राज्य की समस्त दुकानो के संदर्भ में वर्ष 2015–16 की वार्षिक राशि इत्यादि का विवरण विभाग की वेबसाईट (**https://rajexcise.gov.in**)पर देखा जा सकता हैं । प्रत्येक दुकान हेतु निर्धारित वार्षिक राशि का विवरण उस सूची में अंकित हैं । सफल आवेदक को अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि 12.5 प्रतिशत (जो कि धरोहर राशि के अलावा हैं) उपरोक्त बिन्दु संख्या 3.7 के अनुसार जमा करानी होगी।

5. अमानत राशि

देशी दुकानों हेतु अमानत राशि (earnest money) संबंधित दुकान की वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित वार्षिक राशि की 5 प्रतिशत राशि होगी । इस राशि का संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बनाया गया डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा । जिस आवेदन के साथ निर्धारित अमानत राशि संलग्न नहीं होगी, उस पर आगे विचार नहीं किया जायेगा । जिस आवेदक का अनुज्ञापत्र हेतु चयन हो जाता है, उसके द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को धरोहर राशि पेटे समायोजित कर दी जायेगी ।

6. धरोहर राशि अदायगी

6.1 सफल आवेदक को धरोहर राशि के रूप में वर्ष 2015–16 की वार्षिक राशि की 12.5% राशि जमा करानी होगी।

6.2 आवेदक के नाम स्वीकृति जारी होने पर 5 प्रतिशत अमानत राशि के समायोजन पश्चात् वार्षिक राशि की 3.75 प्रतिशत राशि लाटरी की दिनांक से 3 दिन में (लाटरी के दिन को छोड़कर) व शेष राशि लाटरी की दिनांक (लाटरी के दिन को छोड़कर) से 10 दिन में या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करानी होगी।

6.3 यदि आवेदक किसी स्टेज पर उक्त अनुसार निर्धारित अवधि में रकम जमा नहीं करवाता है, तो उस स्टेज तक उसके द्वारा जमा अमानत राशि /धरोहर राशि/ अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि राज्यसात् कर उसके पक्ष में जारी स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस हेतु पृथक से कोई नोटिस नही दिया जायेगा।

7. दुकानों का संचालन

7.1 आवेदक को अपनी दुकान पर मात्र देशी मदिरा बेचने की ही अनुमति होगी। जिन दुकानों की नियमानुसार कम्पोजिट स्वीकृत है, उन्हें देशी मदिरा के साथ–साथ भा0नि0वि0 मदिरा एव ंबीयर बेचने की भी अनुमति होगी।

7.2 अनुज्ञाधारी को अपनी समस्त आपूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के निर्धारित गोदाम से लेनी होगी जिसमें अधिकतम 45% आपूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा उत्पादित देशी मदिरा की होगी । राज्य के निजी क्षैत्र में कार्यरत डिस्टलरीज व पात्र बोटलिंग प्लाटंस द्वारा निर्मित की गई देशी मदिरा भी राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के गोदामो पर बिक्री हेतु सम्बन्धित डिस्टलरीज द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।

7.3 अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक माह की मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 40 प्रतिशत गारन्टी पूर्ति 50/60 यूपी की देशी मदिरा के उठाव से किया जाना आवश्यक होगा। लेकिन एक माह में 50/60 यूपी की देशी मदिरा से गारन्टी पूर्ति उक्त अनुपात में नही हो पाने से अनुज्ञाधारी उसी त्रैमास के अन्य माह/माहों में 50 एवं 60 यूपी की देशी मदिरा से गारन्टी पूर्ति इस प्रकार से सुनिश्चित करेगा कि उक्त त्रैमास के 3 माहों की मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के योग की 40 प्रतिशत की गारन्टी पूर्ति 50/60 यूपी की देशी मदिरा के उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी से हो।

7.4 एक त्रैमास में इस अनुपात (40 प्रतिशत) से कम उठाव होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को 50/60 यूपी की देशी मदिरा की गारन्टी पूर्ति के लिये देय आबकारी शुल्क एवं वास्तविक रूप से 50/60 यूपी देशी मदिरा उठाव से गारन्टी पूर्ति के अन्तर की राशि नकद पृथक से जमा करवानी होगी।

7.5 वर्ष 2015–16 के दौरान मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति का 105 प्रतिशत से अधिक उठाव करने पर अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के 105 प्रतिशत से अधिक उठाई गई मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 10 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

7.6 अनुज्ञाधारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से नीची दर पर मदिरा का विक्रय नही कर सकेगें ।

7.7 दुकानों के बारे में अन्य प्रावधान संलग्न अनुज्ञापत्र शर्तो में है । आवेदक को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिये । किसी भी आवेदक के आवेदन पर स्वीकृति जारी हो जाने के उपरान्त यदि वह उसे आवंटित दुकान के क्षेत्र / कस्बे / गांव में दुकान नहीं लगा पाता है, तो भी वह वार्षिक राशि या उसके द्वारा जमा करवाई गई किसी भी प्रकार की राशि में छूट अथवा उसकी वापसी का अधिकारी नहीं होगा ।

8. कम्पोजिट दुकाने

8.1 राज्य के ग्रामीण क्षेत्र एवं ''चतुर्थ श्रेणी'' की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा एवं रावतभाटा नगर पालिकाओं को छोड़कर) की देशी मदिरा की समस्त दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होगी। कम्पोजिट फीस की गणना निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। वर्ष 2015–16 के लिये कम्पोजिट दुकान की कम्पोजिट फीस को 31 मार्च, 2015 तक जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

8.2 राज्य में ग्रामीण क्षेत्र एवं चतुर्थ श्रेणी नगर पालिकाओं (सागवाड़ा एवं रावतभाटा नगर पालिकाओं को छोड़कर) में स्थित कम्पोजिट दुकानें निम्न श्रेणी की होगी :–

(i) **परिधिय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें :** नगर निगम/ नगरपरिषद/ द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की नगर पालिकायें एवं सागवाड़ा तथा रावतभाटा नगर पालिकाओं की सीमा से 5 किमी परिधि में स्थित गांवों में अवस्थित कम्पोजिट दुकानें **परिधिय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** कहलायेगी।

(ii) **चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानें : "चतुर्थ श्रेणी"** की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा एवं रावतभाटा नगर पालिकाओं को छोड़कर) में स्थित कम्पोजिट दुकानें **चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानें कहलायेंगी।**

(iii) **ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** : परिधिय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित कम्पोजिट दुकानें **ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** कहलायेगी।

8.3 परिधिय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण :–

8.3.1 वर्ष 2015–16 में ऐसी दुकानें जो नगरीय क्षेत्र की सीमा ("चतुर्थ श्रेणी" नगर पालिकाओं को छोड़कर जो अब ग्रामीण क्षेत्र में मान ली गई हैं) से 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में अवस्थित है, की कम्पोजिट फीस इस परिधि में स्थित गांवों को "अ" एवं "ब" दो श्रेणी में वर्गीकृत कर तद्नुसार वसूल की जायेगी ।

(i) **"अ" श्रेणी के गांव** – वे गांव जिनमें वर्ष 2005–2006 से वर्ष 2014–15 तक संचालित देशी मदिरा की दुकानें कम्पोजिट रही हो अथवा जिन गांवों में से होकर राज्य अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हों अथवा इन गांवों की सीमा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगती हुई हो।

(ii) **"ब" श्रेणी के गांव** – नगरीय क्षेत्र की 5 कि.मी. की परिधि में स्थित "अ" श्रेणी के गांवों के अतिरिक्त समस्त गांव "ब" श्रेणी के होंगे।

8.3.2 अनुज्ञाधारी द्वारा उसके समूह की दुकान को "अ" श्रेणी के गांवों में संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उसके समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि. मदिरा की लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" के योग के बराबर) अथवा उस दुकान/समूह की वर्ष 2014–15 की आर.एस.बी.सी.एल की एनुलाईज्ड बिंलिंग राशि का 5 प्रतिशत में से, जो भी अधिक हो, देय होगी। इस दुकान के लिये भा.नि.वि. मदिरा/बीयर पर देय "स्पेशल वेण्ड फीस" का भराव उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से देय होगी।

"ब" श्रेणी के गांव की सीमा में दुकान संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उस दुकान/समूह की वर्ष 2014–15 की आर.एस.बी.सी.एल. की एनुलाईज्ड बिलिंग राशि का 5 प्रतिशत अथवा समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि.मदिरा/बीयर दुकान की लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" के योग) का 50 प्रतिशत अथवा रू. 50,000 में से जो भी अधिक हो, देय होगी। इस दुकान के लिये भा.नि.वि.मदिरा/बीयर पर देय "स्पेशल वेण्ड फीस" का भराव उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से देय होगी।

8.3.3 वर्ष के दौरान परिधिय क्षेत्र की "अ" श्रेणी के गांव में संचालित दुकान को अनुज्ञाधारी "ब" श्रेणी के गांव में स्थानान्तरित कराना चाहे तो कम्पोजिट फीस वापसी योग्य (refund) नही होगी, परन्तु "ब" श्रेणी के गांव में संचालित दुकान "अ" श्रेणी के गांव में स्थानान्तरित कराये जाने पर "अ" व "ब" श्रेणी की कम्पोजिट फीस के अन्तर की राशि जमा करानी होगी।

8.4 **चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों** की कम्पोजिट फीस का निर्धारण :–

(i) वर्ष 2015–16 हेतु **''चतुर्थ श्रेणी''** की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा एवं रावतभाटा नगर पालिकाओं को छोड़कर) में स्थित देशी मदिरा दुकानों की कम्पोजिट फीस की गणना निम्न प्रक्रिया अनुसार की जावेगी :–

(क) सम्बन्धित नगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2014–15 में संचालित समस्त भा.नि.वि. मदिरा/बीयर की दुकान/दुकानों की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) की कुल एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) का 5 प्रतिशत अथवा वर्ष 2014–15 में इन दुकानों के लिये निर्धारित कम्पोजिट राशि में से जो भी अधिक हो।

(ख) उपरोक्त बिन्दू संख्या 8.4 (i) (क) में गणना की गई राशि को सम्बन्धित नगर पालिका क्षेत्र के सभी देशी मदिरा दुकानों में समान रूप से विभाजित कर प्रत्येक देशी मदिरा दुकान की कम्पोजिट फीस निर्धारित की जायेगी।

(ii) वर्ष 2015–16 में **''चतुर्थ श्रेणी'' नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट** दुकानों की जमा कम्पोजिट फीस की 50 प्रतिशत राशि उस दुकान के लिये भा.नि.वि.म./ बीयर निर्गम के लिये देय "स्पेशल वेण्ड फीस" के पेटे समायोजन योग्य होगी एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से देय होगी।

8.5 **ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण :–**

(i) वर्ष 2015–16 हेतु ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस वर्ष 2014–15 की भा.नि.वि.म. एवं बीयर की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) डिपो की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) का 5 प्रतिशत अथवा वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित कम्पोजिट फीस अथवा रू. 50,000 में से जो भी अधिक हो, निर्धारित की जावेगी।

(ii) वर्ष 2015–16 में ग्रामीण क्षेत्र के किसी समूह में एक से अधिक कम्पोजिट दुकानें होने पर आर.एस.बी.सी.एल से भा.नि.वि.मदिरा एवं बीयर की वर्ष 2014–15 की सभी कम्पोजिट दुकानों की कुल एनुएलाईज्ड बिलिंग राशि को समान रूप से प्रति कम्पोजिट दुकान विभाजित किया जाकर वर्ष 2015–16 हेतु कम्पोजिट राशि निर्धारित की जायेगी।

(iii) वर्ष 2015–16 में ग्रामीण क्षेत्र की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों के लिये जमा कम्पोजिट फीस की 50 प्रतिशत राशि उस दुकान के लिये भा.नि.वि.म./बीयर निर्गम के लिये देय "स्पेशल वेण्ड फीस" के पेटे समायोजन योग्य होगी एवं इस राशि के समाप्त होने पर स्पेशल वेण्ड फीस पृथक से देय होगी।

8.6 परिधिय क्षेत्र (विर्निदिष्ट नगरीय क्षेत्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सागवाडा तथा रावतभाटा की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि) के ''अ'' एवं ''ब'' श्रेणी के सभी गॉवों की सूची संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कर्यालय में उपलब्ध है। देशी मदिरा की कम्पोजिट फीस अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत लोकेशन के आधार पर उपरोक्त प्रावधानो के अनुसार सम्बन्धित नगरीय क्षेत्र (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सागवाडा तथा रावतभाटा) की भा.नि.वि.म. /बीयर दुकान की निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस के आधार पर निर्धारित होगी, जो निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	**शहर का विवरण**	**वर्ष 2015–16 के लिये निर्धारित वार्षिक फीस (लाख रू0 में)**		
		बेसिक लाईसेन्स फीस	**न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस**	**कॉलम नं.3 एवं 4 का योग**
1	2	3	4	5
1.	जयपुर व जोधपुर	8.00	12.00	20.00
2.	अन्य सम्भागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	6.50	9.75	16.25
3.	अलवर, सीकर, भीलवाडा, पाली एवं श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय	5.00	7.50	12.50
4.	अन्य जिला मुख्यालय	4.20	6.30	10.50
5.	अन्य नगरपालिकाएँ एवं सागवाड़ा तथा रावतभाटा नगर पालिका (राज्य में स्थित ''चतुर्थ श्रेणी'' नगर पालिकाओं को छोड़कर)	3.50	5.25	8.75

8.7 विदेशी मदिरा व बीयर पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बिन्दु/ प्रकिया अनुसार 20 प्रतिशत 'वेट' देय होगा ।

8.8 **एन्यूलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) की गणना निम्नानुसार की जायेगी :**

किसी भी समूह के अनुज्ञाधारी द्वारा उस समूह की कम्पोजिट दुकानों के लिये मदिरा एवं बीयर के क्रय हेतु आर.एस.बी.सी.एल. को वित्ततीय वर्ष 2014–15 के प्रथम 9 माह में समूह की उन सभी कम्पोजिट दुकानों द्वारा कुल अदा की गई राशि (Including all levies,VAT and SVF) को (4/3) के फेक्टर से गुणा कर एनुलाईज्ड बिलिंग राशि की गणना की जायेगी।

8.9 प्रत्येक जिलें में भा0नि0वि0 मदिरा/बीयर के त्रैमासिक उठाव की औसत वृद्वि की 20 प्रतिशत से कम वृद्वि देने वाले कम्पोजिट समूह (परिधिय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों को छोड़कर) के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा जमा कराई गई न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस की 5 प्रतिशत राशि के बराबर राशि त्रैमासिक राजस्व हानि की भरपाई के लिये अतिरिक्त वसूल की जायेगी। उक्त कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात की जायेगी। एक त्रैमास में कम वृद्वि के लिये राजस्व हानि की भरपाई के लिये जमा राशि का समायोजन स्पेशल वेण्ड फीस के पेटे उसी वित्तीय वर्ष की आगामी अवधि में दिया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जाने वाले निर्देशों की पालना हेतु अनुज्ञाधारी बाध्य रहेगा।

9. दुकानों की संख्या व अवस्थिति

देशी मदिरा दुकान / दुकाने उसके लिये निर्धारित ग्राम पंचायत अथवा नगर निगम /परिषद/पालिका के सम्बन्धित वार्ड में किसी भी नियमानुकूल अवस्थिति पर लगाई जा सकेगी परन्तु दो पड़ौसी समूहो में अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा रोकने के उद्धेश्य से जिला आबकारी अधिकारी इस संबंध में उचित निर्णय ले सकेगा ।

10. आबकारी शुल्क व अन्य प्रभार

10.1 देशी मदिरा पर रूपये 116.67 प्रति प्रूफ लीटर की दर से आबकारी शुल्क लगाया जायेगा ।

10.2 अनुज्ञाधारी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से परमिट फीस का भुगतान भी करना होगा ।

10.3 इसके अतिरिक्त मदिरा के मूल्य का भुगतान राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स को किया जाना होगा ।

11. देशी मदिरा दुकानों हेतु आवेदन सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्रस्तुत किये जा सकेगें । जिस जिले की दुकान/दुकानो हेतु आवेदन किया जा रहा है, आवेदन फार्म उसी जिले मे जमा कराना होगा । निर्धारित दिनांक एवं समय के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । किसी दुकान/दुकान समूह हेतु निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा । किसी दुकान के लिये लॉटरी उस जिले में निकाली जायेगी जिस जिलें में वह दुकान अवस्थित होनी है ।

12. दुकानों का आवंटन/लॉटरी प्रक्रिया

12.1 उक्त पैरा संख्या 11 अनुसार लॉटरी अपेक्षित होने पर लॉटरी निकालने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा संबंधित जिला मुख्यालय पर निर्धारित दिनांक को प्रातः 11.00 बजे की जायेगी जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्य दिवस को भी जारी रहेगी। लॉटरी निकालने के स्थान की जानकारी आवेदन प्राप्ति की अंतिम समय सीमा से पूर्व जिला कलेक्टर एवं सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जावेगी । इस कार्यवाही के दौरान उस दुकान के समस्त आवेदक उपस्थित रह सकते है । आवेदकों को चाहिये कि लॉटरी निकालने की इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रवेश हेतु वह आवेदन पत्र की दी गई रसीद (आवेदन पत्र का भाग – III) अपने साथ रखें ।

12.2 किसी दुकान के लिए लॉटरी निकालने के लिये उस दुकान हेतु प्राप्त समस्त आवेदन के भाग II को पृथक कर ऐसी समस्त पर्चियों को एक साथ डालकर लॉटरी निकाली जायेगी ।

12.3 किसी दुकान/ दुकान समूह हेतु दो अतिरिक्त आवेदको की एक आरक्षित सूचि (reserve list) बाबत भी लॉटरी निकाली जायेगी ताकि यदि मूल सूची में चयनित कोई आवेदक निर्धारित अवधि में धरोहर राशि जमा नही करवाता हैं या देशी मदिरा की अन्य दुकान उसको आवंटित हो जाती है तो आरक्षित सूची में से उसी वरीयता क्रम में स्वीकृति जारी की जा सके।

13. आबकारी आयुक्त को अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश पारित कर दें । आवेदन आमंत्रण एवं लॉटरी की इस प्रक्रिया के बारे में किसी भी प्रकार का संशय / विवाद उत्पन्न होने पर आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

राजस्थान – सरकार
आबकारी – विभाग

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत देशी मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए अनुज्ञापत्र

अनुज्ञापत्र संख्या ..... दिनांक : .....

अनुज्ञाधारी का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	पूर्ण पता

उपर्युक्त व्यक्तियों को विभाग द्वारा निदेशित राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के गोदाम से देशी मदिरा प्राप्त कर समूह क्षेत्र में अवस्थित दुकान / दुकानों पर खुदरा विक्रय करने हेतु दिनांक .....से ..... तक की अवधि के लिए नीचे वर्णित शर्तों पर अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है।

देशी मदिरा समूह का नाम :.....

समूह में निर्धारित दुकानों की संख्या : .....

समूह में निर्धारित दुकानों का विवरणः .....

.....

.....

इस अनुज्ञापत्र की पालना सुनिश्चित करने के लिये उक्त अनुज्ञाधारी/अनुज्ञाधारियों ने वर्ष 2015–16 की निर्धारित वार्षिक राशि की वांछित 12.5 प्रतिशत नकद धरोहर राशि (अर्नेस्टमनी की राशि को समायोजित करते हुए) तथा नियमानुसार अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि जमा करा दी है ।

देशी मदिरा खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र (लाईसेन्स) की शर्ते

1. <u>राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों आदि की पालना :–</u>

अनुज्ञाधारी, राजस्थान आबकारी अधिनियम, **1950** (राजस्थान अधिनियम संख्या–2, 1950) एवं उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, **1956** एवं आवेदन के सदर्भ में जारी विस्तृत निर्देशों एवं शर्तो, अनुज्ञाधारी के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तों तथा समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों से पाबन्द रहेगा।

2. <u>वार्षिक राशि एवं अन्य राशियाँ तथा उनका भुगतान :–</u>

2.1 अनुज्ञाधारी को राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 24 एवं 30 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम संख्या 67 (आई) के अधीन एकाकी विशेषाधिकार के लिए वर्ष 2015–16 (दिनांक 1.4.2015 से 31.3.2016 तक) की अवधि के लिए निर्धारित वार्षिक राशि रूपये .....(अंकों में) रूपये ..... (शब्दों में) का भुगतान करना होगा।

2.2 अनुज्ञाधारी को निर्धारित दुकान / दुकानों की वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित वार्षिक राशि की 12.5 प्रतिशत राशि बतौर अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि आवेदन के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश एवं शर्तो के अनुसार जमा करानी होगी ।

2.3.1 एकाकी विशेषाधिकार की वार्षिक राशि का भुगतान समतुल्य 12 मासिक किश्तों में करना होगा। माह का आशय कैलेण्डर माह से है। प्रत्येक माह की मासिक किश्त का भुगतान उस माह की अंतिम दिनांक तक करना होगा। देशी मदिरा पर भुगतान की गई आबकारी ड्यूटी का मासिक किश्त की राशि के प्रति रिबेट (भराव) देय होगा, जो किसी भी दशा में मासिक किश्त की राशि से अधिक नही होगा परन्तु माह अप्रेल से जून के मध्य मासिक किश्त से अधिक उठाई गई मदिरा का भराव माह जुलाई से सितम्बर तक की किश्तो पेटे दिया जा सकेगा । अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक माह की मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 40 प्रतिशत गारन्टी पूर्ति 50/60 यूपी की देशी मदिरा के उठाव से किया जाना आवश्यक होगा। लेकिन एक माह में 50/60 यूपी की देशी मदिरा से गारन्टी पूर्ति उक्त अनुपात में नही हो पाने से अनुज्ञाधारी उसी त्रैमास के अन्य माह/माहों में 50 एवं 60 यूपी की देशी मदिरा से गारन्टी पूर्ति इस प्रकार से सुनिश्चित करेगा कि उक्त त्रैमास के 3 माहों की मासिक एकाकी विशेषाधिकार

राशि के योग की 40 प्रतिशत की गारन्टी पूर्ति 50/60 यूपी की देशी मदिरा के उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी से हो।

एक त्रैमास में इस अनुपात (40 प्रतिशत) से कम उठाव होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को 50/60 यूपी की देशी मदिरा की गारन्टी पूर्ति के लिये देय आबकारी शुल्क एवं वास्तविक रूप से 50/60 यूपी देशी मदिरा उठाव से गारन्टी पूर्ति के अन्तर की राशि नकद पृथक से जमा करवानी होगी। इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों की पालना हेतु अनुज्ञाधारी बाध्य रहेगा।

2.3.2 विलम्ब से जमा करायी गयी राशि पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अनुसार ब्याज भी वसूली योग्य होगा। ब्याज के भुगतान करने के लिये पृथक से नोटिस की आवश्यकता नही होगी।

2.4 अनुज्ञाधारी को राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 69–बी के अन्तर्गत देय फीस पृथक से भुगतान करनी होगी।

2.5 उपर्युक्त राशियों के अलावा अन्य फीस एवं कर प्रभार, अगर कोई है, का अलग से भुगतान करना होगा।

2.6 बिन्दु संख्या 2.2 के अनुसार एकाकी विशेषाधिकार राशि की 12.5% अग्रिम जमा राशि का वित्तीय वर्ष 2015–16 के माह अक्टूबर से फरवरी तक प्रतिमाह 2 प्रतिशत एवं माह मार्च में 2.5 प्रतिशत राशि निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम के आबकारी शुल्क में समायोजन योग्य होगी।

3. <u>अनुज्ञापत्र की वैधानिक स्थिति :–</u>

3.1 जिन व्यक्तियों के पक्ष में अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है वे व्यक्ति ही अनुज्ञाधारी की श्रेणी में माने जायेगे तथा वे ही इस अनुज्ञापत्र के तहत निर्धारित क्षेत्र में देशी मदिरा की बिक्री करने हेतु अधिकृत होंगे।

3.2 अनुज्ञाधारी, अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञापत्र हस्तान्तरित नही कर सकेगा । अनुज्ञापत्र की अवधि में अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाने पर मदिरा समूह को नियमानुसार फिर से उठाया जा सकेगा। यदि अनुज्ञाधारी का कोई वैध वयस्क उत्तराधिकारी हो, तो उसकी प्रार्थना पर अनुज्ञापत्र उसके नाम पर जारी किया जा सकेगा। किसी समूह में एक से अधिक अनुज्ञाधारी होने की स्थिति में यदि किसी अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाती है तो शेष अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्र की शर्तों से यथावत बाध्य रहेंगे।

3.3 ''व्यक्तियों के समूह'' के नाम पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने की स्थिति में स्वीकृत ''व्यक्तियों के समूह'' में सम्मिलित समस्त व्यक्ति सह–अनुज्ञाधारी की श्रेणी में आयेंगे एवं अनुज्ञापत्र की शर्तों से बाध्य होंगे। सभी सह–अनुज्ञाधारी आबकारी बकाया एवं अन्य दायित्वों के भुगतान के लिए संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। दायित्वों के उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आन्तरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नही रहेगा। ऐसे ''व्यक्तियों के समूह'' में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नहीं होंगे।

4. धरोहर राशि (Security Deposit) :

4.1 अनुज्ञाधारी को अनुज्ञापत्र शर्तो की पालना सुनिश्चित करने हेतु उस दुकान/ दुकान समूह की वर्ष 2015–16 की वार्षिक राशि की 12.5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में आवेदन प्रपत्र के संलग्न विस्तृत दिशा निर्देश व शर्तो में दी गई अवधि में जमा करानी होगी। अनुज्ञाधारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत अमानत राशि (earnest money) धरोहर राशि पेटे समायोजित कर ली जायेगी।

4.2 धरोहर राशि का समायोजन नही कर ठेका सफल रहने पर प्रतिदाय किया जायेगा।

4.3 अनुज्ञाधारी को स्वयं का फोटो पहचान पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा ।

5. दुकानों की अवस्थिति :

5.1 अनुज्ञाधारी अनुज्ञा के लिए निर्धारित क्षेत्र (यथा ग्राम पंचायत अथवा नगर निगम/परिषद/ पालिका का वार्ड अथवा उसका समूह) में देशी मदिरा की निर्धारित दुकानों की संख्या तक किसी भी स्थान पर नियमानुसार दुकान लगा सकेगा, परन्तु इसके लिये उसे अपने क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी से दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत करानी होंगी। बिना स्वीकृति के अनुज्ञाधारी दुकानों का संचालन नही कर सकेगा।

5.2 अनुज्ञाधारी दुकानें प्रारम्भ करने से पूर्व दुकानों की अवस्थिति की स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञाधारी द्वारा चाही गई अवस्थिति पर दुकान लगाने की स्वीकृति देने से मना कर सकता है। ऐसी स्थिति में अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा उसके द्वारा देय राशियों में छूट पाने का हकदार नही होगा। साथ ही वह अन्य स्थान पर नियमानुसार दुकान स्वीकृत कराने हेतु आवेदन जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा।

5.3 जिला आबकारी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर स्वीकृत स्थान से दुकान हटवा सकेगा। इस प्रकार स्वीकृत दुकानों को एक स्थान से उसी समूह क्षेत्र में दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने या बन्द रहने या संचालन नही करने पर अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा वार्षिक/मासिक किश्त की राशि में छूट पाने का हकदार नही होगा।

5.4 निर्धारित दुकानों की संख्या तक दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत नही कराने अथवा किसी कारणवश उन्हें संचालित नही करने की स्थिति में अनुज्ञाधारी उसके द्वारा देय राशियों में किसी प्रकार की छूट पाने का हकदार नही होगा।

5.5 अनुज्ञाधारी मदिरा की दुकान अस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षण संस्थानों, सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, सिनेमा हॉल और नाट्य गृह से 200 मीटर की परिधि में नही लगा सकेगा, परन्तु एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में धार्मिक स्थानों से दूरी संबंधी प्रतिबंध जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी हुई सूची में उल्लेखित धार्मिक स्थानों पर लागू होगा। महाविद्यालय, सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षा संस्थानों एवं सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य विद्यालयों के निकट की दुकानों के लिए यह प्रतिबन्ध रहेगा कि शिक्षा संस्थान बन्द होने के एक घण्टे बाद ही दुकान खोली जा सकेगी।

5.6 अनुज्ञाधारी, फैक्ट्री अथवा श्रमिक व हरिजन बस्ती से 200 मीटर की परिधि में दुकान नही लगा सकेगा। हरिजन बस्ती से अभिप्राय ऐसे नगर पालिका वार्ड से होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की जनसंख्या की 50 प्रतिशत से अधिक है।

5.7 अनुज्ञाधारी राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनों ओर 150 मीटर की दूरी तक दुकान नही लगा सकेगा किन्तु यह शर्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्रों में या लोक निर्माण विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट दूरी पर विकसित बाजार स्थित है, से गुजरने वाले उक्त मार्गो पर लागू नही होगी ।

5.8 अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान के दरवाजे पर 125 X 75 से.मी. आकार का एक साईन बोर्ड जिस पर अनुज्ञाधारी का नाम, दुकान का विवरण, दुकान खुलने व बन्द होने का समय तथा दुकान जिला आबकारी अधिकारी से अनुमोदित होने आदि का उल्लेख हो, लगाना होगा। मदिरा दुकान का केवल एक ही दरवाजा सार्वजनिक सड़क पर होगा तथा इस एक दरवाजे के अतिरिक्त कोई खिड़की, आला या दीवार में छेद इत्यादि नही होगा । दरवाजे के अलावा पूरी दुकान पुख्ता पक्की होगी । आमतौर से मदिरा की दुकान इस प्रकार होनी चाहिए कि दरवाजे के बाहर से भीतर के सब हालात स्पष्टतया दिखाई दे सके। दुकान का काउण्टर विहित रीति के अनुसार रखना होगा। जिस कमरे में दुकान होगी उसमें अनुज्ञाधारी एवं उसके अधिकृत नौकर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को

नही रख सकेगा। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को किसी प्रकार का प्रलोभन नही दे सकेगा, जैसे कि गाना, नाच व रेडियों/टेलीविजन का कार्यक्रम इत्यादि और न किसी प्रकार का विज्ञापन ही इस विषय पर कर सकेगा। इसके साथ ही किसी भी मदिरा के ब्राण्ड के विक्रय को बढ़ाने के लिए कोई स्कीम, भेट, नजराना या प्रलोभन नही ले सकेगा । इसके अलावा किसी भी मदिरा ब्राण्ड का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का विज्ञापन / छद्म विज्ञापन किसी भी रूप में नही कर सकेगा ।

5.9 सभी मदिरा दुकानों को स्वच्छ रखना होगा तथा नियमित रूप से साफ–सफाई रखनी होगी। मदिरा के स्टॉक को दुकान में व्यवस्थित रूप से रखना होगा। विक्रय की जाने वाली विभिन्न किस्म की मदिरा को दुकान के भीतर उचित रूप से प्रदर्शित (Display) करना होगा। इसके अलावा दुकान के दरवाजे के पास प्रमुख मदिरा ब्राण्डों का अधिकतम खुदरा मूल्य प्रर्दशित करने वाली स्पष्ट पठनीय सूची विभाग द्वारा निर्धारित साईज की लगानी होगी । यह सूची ऐसे स्थान पर लगानी होगी जहां से ग्राहक इसे आसानी से पढ़ सके / देख सकें।

5.10 कानून व व्यवस्था की दृष्टि से किसी दुकान की अवस्थिति वर्जित स्थान पर होने की दशा में अगर उस दुकान को बन्द करवाया जाता है तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से अनुज्ञाधारी उस समूह क्षेत्र में अन्यत्र स्थान पर नियमानुसार दुकान खोल सकेगा परन्तु ऐसा करने पर वार्षिक / मासिक किश्त की राशि के भुगतान में किसी प्रकार की छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा।

5.11 अनुज्ञाधारी नियमानुसार राशि का भुगतान कर जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से स्वीकृत कराई गई दुकान को अपने क्षैत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेगा।

5.12 समूह में दो या दो से अधिक दुकान होने पर अनुज्ञाधारी देशी मदिरा के भण्डारण हेतु उसी समूह क्षेत्र में नियमानुसार एक देशी मदिरा गोदाम निःशुल्क स्वीकृत करा सकता है, जो उस समूह की किसी दुकान से शहरी क्षेत्र के लिए 500 मीटर से अधिक दूरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित नही होना चाहिये।

5.13 वर्ष 2015–16 में 10 लाख से अधिक वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि वाले एकल दुकान समूह को रू0 20,000/–की वार्षिक फीस पर एक गोदाम की सुविधा उसी दुकान समूह क्षेत्र में स्थापित करने की प्रदान की जायगी। उक्त गोदाम दुकान से शहरी क्षेत्र के लिये 500 मीटर से अधिक दूर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1 कि.मी. से अधिक दूर अवस्थित नही होना चाहिये।

6. **<u>दुकानों का संचालन :</u>**

6.1.1 दुकान खुली रहने का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा, परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा बिना पूर्व सूचना के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

6.1.2 वर्तमान में नियत 5 शुष्क दिवस (यथा गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती हैं) को शुष्क दिवस रहेगा एवं भविष्य में राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किये जाने वाले शुष्क दिवसों पर दुकानें बंद रखनी होगी। शुष्क दिवसों की सूचना अनुज्ञाधारी संबंधित आबकारी निरीक्षक से प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त दुकान को बन्द रखने व बिक्री समय पर जो नियंत्रण समय–समय पर लगाये जावेंगे उनका पालन भी अनुज्ञाधारी को करना होगा और इसके लिए उसे न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न उसके द्वारा देय राशि में ही कोई कमी की जावेगी। यदि अनुज्ञाधारी की दुकानें कानून व व्यवस्था संबंधी कारणों से बन्द रहती है तो भी देय राशि में किसी प्रकार की छूट नही दी जावेगी। शुष्क दिवसों की पठनीय सूची दुकान के काउण्टर के पास लगानी होगी।

6.1.3 राज्य सरकार, आबकारी आयुक्त अथवा अनुज्ञापत्र देने वाला अधिकारी अनुज्ञाधारी को बिना नोटिस दिये शुष्क दिवसों के अतिरिक्त किसी विशेष अवसर पर या विशेष कारणवश मदिरा के विक्रय के समय में परिवर्तन कर सकेगा या दुकान बन्द रखने की आज्ञा दे सकेगा। ऐसी दशा में अनुज्ञाधारी को इसके लिये न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न देय राशि में कोई कमी की जायेगी।

6.2 देशी मदिरा अनुज्ञाधारी अपनी आपूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के निर्धारित गोदाम से लेगा और उसे अपनी दुकान पर सबसे अधिक सीधे मार्ग से अथवा पास में अंकित मार्ग से नियत समय में सुरक्षित रूप से लायेगा और उसके लिए पास भी साथ रखना होगा। दूसरे स्थान या किसी भी अन्य अनुज्ञाधारी से मदिरा नही ला सकेगा, न अपने पास रख सकेगा और न ही उसका विक्रय कर सकेगा।

6.3 अनुज्ञाधारी को अपने क्षेत्र की दुकान / दुकानों तथा विभाग द्वारा स्वीकृत खुदरा गोदाम के मध्य माल लाने व ले जाने हेतु जिला आबकारी अधिकारी से अलग से परमिट लेने की आवश्यकता नही होगी। इस हेतु ''परिवहन घोषणा पत्र'' अनुज्ञाधारी द्वारा जारी किया जावेगा। परिवहन घोषणा–पत्र पुस्तिका विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को जारी की जावेगी। इस घोषणा–पत्र की मान्यता अवधि एक दिन की होगी।

6.4 अनुज्ञाधारी अपनी दुकान पर अधिकृत रूप से क्रय की गई देशी मदिरा का ही विक्रय कर सकेगा। आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना अन्य कोई पदार्थ न तो रख सकेगा और न ही बेच सकेगा। मदिरा में किसी प्रकार की मिलावट या परिवर्तन भी नही कर सकेगा।

6.5 अनुज्ञाधारी मदिरा लाने व बेचने के लिए किसी वयस्क व्यक्ति को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी की स्वीकृति से ही नौकर रख सकेगा परन्तु ऐसे व्यक्ति के प्रत्येक काम के लिए अनुज्ञाधारी स्वयं उत्तरदायी होगा। अनुज्ञाधारी की किसी विशेष कारण से अनुपस्थिति की अवस्था में अनुज्ञाधारी के पिता एवं अनुज्ञाधारी के वयस्क पुत्र को इस संबंध में लिखित स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी। अनुज्ञाधारी मदिरा बेचने व लाने के लिए अपनी दुकान पर किसी ऐसे व्यक्ति को नौकर नही रख सकेगा जिसे कोई संक्रामक रोग हो या जो आबकारी एवं फौजदारी जुर्म में आदतन अपराधी अथवा वान्टेड हो। दुकान पर मदिरा बेचान करने वाले अधिकृत नौकर को उचित वेशभूषा में रहना होगा तथा उसे अपने नाम तथा विभाग द्वारा नौकरनामे के अनुमोदन के क्रमांक व दिनांक के उल्लेख वाली पट्टिका/ लेमिनेटेड कार्ड लगाना होगा।

6.6 अनुज्ञाधारी को अनुज्ञापत्र की अवधि तक अपनी दुकान नियमित रूप से संचालित रखनी होगी और हर समय स्टॉक में देशी मदिरा की इतनी मात्रा रखनी होगी, जो 15 दिन की बिक्री के लिए पर्याप्त हो। मदिरा का सारा स्टॉक उसी दुकान या स्वीकृत खुदरा गोदाम पर रखना होगा और उसी दुकान पर बेचना होगा, जिसके लिए उसे अनुज्ञापत्र दिया गया है।

6.7.1 अनुज्ञाधारी मदिरा बन्द बोतलों/अद्धों/पव्वों में ही विक्रय कर सकेगा। जनजाति क्षैत्र में पाउच उपलब्ध करवाने पर पाउच में भी देशी मदिरा की बिक्री की जा सकेगी ।

6.7.2 स्वीकृत दुकानों पर किसी भी प्रकार का मदिरापान करना/कराना पूर्णतः निषिद्ध होगा।

6.8 अनुज्ञाधारी किसी एक व्यक्ति को एक समय में 3 लीटर से अधिक देशी मदिरा सक्षम अधिकारी की आज्ञा के बिना एक साथ नही बेच सकेगा, लेकिन राज्य सरकार जब भी उचित समझेगी तब अधिसूचना जारी कर इस मात्रा में कमी या वृद्धि कर सकेगी, जिसकी पालना अनुज्ञाधारी को करनी होगी। ऐसी आज्ञा के विरूद्व वह कोई आपत्ति नही कर सकेगा और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग कर सकेगा।

6.9.1 अनुज्ञाधारी 18 वर्ष से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को या जिस व्यक्ति का होश हवास दुरूस्त न हो, मदिरा नही बेच सकेगा। इसी प्रकार पुलिस व सेना के सिपाही या रेल व आबकारी के कर्मचारियों को भी जो वर्दी पहने हुए या ड्यूटी पर हो, मदिरा नही बेच सकेगा। वाहन चालकों को एवं हवाई जहाज के पायलटों को भी यात्रा के दौरान मदिरा नही बेच सकेगा।

6.9.2 अनुज्ञाधारी अथवा उसका नौकर अपनी दुकान पर किसी प्रकार दंगा, फसाद या जुआ नही होने देगा और ऐसे लोगों को जो कुख्यात बदमाश हों, दुकान पर आने नहीं देगा और रात को ऐसे बदमाशों को अपनी दुकान पर नही ठहरायेगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति दुकान में आवे जिसके विषय में पुलिस द्वारा दस्तान्दाजी योग्य और जमानत के अयोग्य अपराध का संदेह हो तो अनुज्ञाधारी या जो व्यक्ति उसकी ओर से दुकान पर काम करता हो तो उसका कर्तव्य होगा कि उसकी सूचना तुरन्त निकटवर्ती मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दें।

6.9.3 अगर अनुज्ञाधारी या उसका कोई प्रतिनिधि अन्य देशी मदिरा समूह क्षेत्र में अवैध रूप से देशी मदिरा भेजते हुए पाया जाता है तो अन्य कानूनी कार्यवाही के अलावा उस पर उचित शास्ति भी आरोपित की जा सकेगी ।

6.10 अनुज्ञाधारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य एवं अधिकतम विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर मदिरा का विक्रय नही कर सकेगा ।

6.11 जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुज्ञाधारी किसी मेले में अस्थाई तौर पर दुकान नही लगा सकेगा।

7. अभिलेखों का संधारण :

7.1 अनुज्ञाधारी को देशी मदिरा की आमद, बिक्री और शेष बची मात्रा (Balance) का हिसाब निर्धारित रजिस्टर में दैनिक रूप से रखना होगा व एक निरीक्षण पंजिका भी रखनी होगी। यह रजिस्टर जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में मूल्य चुका कर प्राप्त करना होगा। प्रतिदिन का हिसाब दुकान बंद करने के साथ उसी दिन ही लिखना होगा और मासिक आमद, बेचान व स्टॉक का नक्शा आगामी माह की 5 तारीख तक हलके के आबकारी निरीक्षक के पास पेश करना होगा।

7.2 आबकारी निरीक्षक अथवा निरीक्षण के लिये अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर अनुज्ञाधारी को अपना अनुज्ञापत्र, नौकर का नौकरनामा व बिक्री रजिस्टर, परमिट पास एवं मदिरा का तमाम स्टॉक, इत्यादि जांच हेतु बतलाना होगा तथा उसको दिन व रात में किसी भी समय दुकान में प्रविष्ट होने देगा और ऐसे अधिकारी को निरीक्षण के दौरान प्रत्येक प्रकार का सहयोग देगा।

7.3 अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने अथवा किसी अन्य कारण से अनुज्ञापत्र रद्द होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को देशी मदिरा के बचे हुए स्टाक एवं समस्त रिकार्ड की सूचना अविलम्ब अपने क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को देनी होगी। समस्त रिकार्ड उसे आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में अविलम्ब जमा कराना होगा एवं बचे हुए स्टॉक का निस्तारण जिला आबकारी अधिकारी के आदेशानुसार करना होगा। निस्तारण होने तक बचा हुआ स्टॉक, आबकारी निरीक्षक एवं निवर्तमान अनुज्ञापत्र धारी के संयुक्त अभिरक्षण में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां व्यवसाय किया जा रहा था एवं निस्तारण करने तक उस स्थान का किराया बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान अनुज्ञाधारी को ही देने होंगे।

8. <u>अनुज्ञापत्र को निरस्त करना :</u>

8.1 अनुज्ञाधारी को मासिक किश्तों का भुगतान अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 2.3.1 के तहत निर्धारित अवधि तक करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि तक की मासिक किश्त को जमा नही कराने पर इसे अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लघंन माना जायेगा तथा इस आधार पर अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

8.2 यदि अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी को किसी समय यह विश्वास हो कि अनुज्ञाधारी अपनी दुकान चालू नही रखता है अथवा ठीक तौर पर नही चलाता है अथवा किसी भी प्रकार आबकारी शुल्क व अन्य आबकारी प्रभारों की अपवंचना में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित है अथवा अन्य कोई उचित एवं पर्याप्त कारण हों तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8..3 अनुज्ञापत्र की अवधि के दौरान अनुज्ञाधारी के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 अथवा आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों तथा उसमें उल्लेखित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज होने या उनके सजायाब होने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8.4 यदि अनुज्ञाधारी अवैध रूप से मदिरा, अफीम या अन्य मादक पदार्थ रखता है या बेचता है या किसी अन्य राज्य में अवैध रूप से मदिरा को बेचने का या अफीम या अन्य मादक पदार्थ बेचने का काम करता है या किसी ऐसी जगह से उसका संबंध है जहां से ये वस्तुएं अवैध रूप से लाई जाने का संदेह हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8.5 अनुज्ञाधारी अथवा उसके नौकर द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियिम, 1950 उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 अथवा आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तो, अनुज्ञाधारियों के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तों अथवा समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8.6.1 अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी, अनुज्ञाधारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त अनुज्ञापत्र निरस्त कर सकेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने पर अनुज्ञाधारी अथवा उसके वारिस किसी प्रकार की क्षति पूर्ति पाने के हकदार नही होंगे।

8.6.2 अनुज्ञाधारी का यह भी दायित्व होगा कि वह उसके समूह क्षैत्र में अवैध मदिरा विक्रय या गैर कानूनी मदिरा विक्रय की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरन्त जिला आबकारी अधिकारी या हल्के के आबकारी निरीक्षक को देगा । यदि यह पाया जाता है कि क्षैत्र में अवैध मदिरा विक्रय की जानकारी अनुज्ञाधारी को थी तथा इसकी सूचना वह उसके जिला आबकारी अधिकारी या आबकारी निरीक्षक को देने में असफल रहा तो ऐसे मामलो में अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा उसका अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा ऐसा अनुज्ञाधारी किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा रिफण्ड प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

8.6.3 **देशी मदिरा की जो दुकाने कम्पोजिट श्रेणी की स्वीकृत है, यदि उनका अनुज्ञाधारी भा0नि0वि0 मदिरा अथव बीयर विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हुए पाया जाता है, तो यह अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लघंन की श्रेणी में आएगा। ऐसे प्रकरणों की जांच उपरान्त दोषी पाये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा । इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देश/आदेश की पालना हेतु अनुज्ञाधारी बाध्य रहेगा।**

8.7 अनुज्ञापत्र निरस्त करने वाले अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञापत्र को अनुज्ञाधारी की जोखिम एवं लागत पर निरस्त कर उसके द्वारा प्रस्तुत की गई धरोहर राशि (अमानत राशि को सम्मिलित करते हुये) तथा उसके द्वारा जमा कराई गई अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि को जब्त सरकार कर सके। साथ ही दुकान / दुकानों के पड़त रहने अथवा दोबारा ठेका कम राशि पर उठने या अन्य तरीके से दुकान / दुकानों के संचालन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो भी हानि होगी उसे सम्बन्धित अनुज्ञाधारी की विभाग के पास उनकी जमा किसी भी राशि से, राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत तथा भू–राजस्व की बकाया वसूली की भाँति उनकी समस्त चल–अचल सम्पतियों से तथा उनके वारिसों/ उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी । अनुज्ञाधारी की सम्पतियों तथा उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा। यदि दुकान / दुकानों के पुनः उठने पर कोई लाभ होगा तो अनुज्ञाधारी उसे पाने के हकदार नहीं होगें।

9. **बकाया राशियों की वसूली** :

अनुज्ञाधारी के विरूद्व किसी भी प्रकार का कोई आबकारी राजस्व मय ब्याज बकाया रहने की स्थिति में उसकी वसूली विभाग के पास अनुज्ञाधारी की किसी भी जमा राशि से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं केन्द्रीय राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के प्रावधानों के अनुसार भू–राजस्व की बकाया की भाँति अनुज्ञाधारियों तथा उनके वारिसों/ उत्तराधिकारियों से की जायेगी। अनुज्ञाधारी की सम्पतियों तथा उनके वारिसों / उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा।

10. **अन्य बिन्दु** :

10.1 अनुज्ञाधारी के लिए अनिवार्य होगा कि वह आबकारी अधिनियम व नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट के तहत कारित अपराध उसकी जानकारी में आने पर जिला आबकारी अधिकारी या हल्के के आबकारी निरीक्षक को अविलम्ब सूचना देगा।

10.2 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के समस्त प्रावधान यथारूप में लागू होंगे।

10.3 इस अनुज्ञापत्र के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र अनुज्ञापत्र जारीकर्ता प्राधिकारी का मुख्यालय रहेगा।

अनुज्ञापत्र देने वाले के हस्ताक्षर

प्रतिसंविद

अनुज्ञापत्र संख्या ..... जिला .....

समूह का नाम .....

मैं/हम उपर्युक्त अनुज्ञापत्र के संबंध में इसमें निर्दिष्ट शर्तों तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तों, हमारे पक्ष में जारी की गई स्वीकृति एवं समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की पालना करना पूर्णतः स्वीकार करता हूँ/करतें हैं।

हस्ताक्षर अनुज्ञाधारी

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये
आबकारी निरीक्षक
वृत .....

प्रति हस्ताक्षर

जिला आबकारी अधिकारी